न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 36/2018 एवं 58/2018 जिला दौसा

भगवत सहाय मीणा पुत्र स्व. श्री अर्जुन , जाति मीणा, निवासी भक्तों की ढाणी, ग्राम डिगो, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. भगवान सहाय मीणा पुत्र स्व. श्री अर्जुन, जाति मीणा, निवासी भक्तों की ढाणी, ग्राम डिगो, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. रामबाई पुत्री स्व. श्री अर्जुन, पत्नि श्री शंकर लाल, जाति मीणा, निवासी ढाकडा की ढाणी, ग्राम मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमधोपुर।
3. कैलाशी पुत्री स्व. श्री अर्जुन पत्नि श्री फूलचन्द, जाति मीणा, निवासी ग्राम टोण्ड, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर ।
4. राजन्ती पुत्री स्व. श्री अर्जुन, पत्नि श्री केदारमल, जाति मीणा, निवासी ढाकडा की ढाणी, ग्राम मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर ।
5. भागली पुत्री स्व. श्री अर्जुन, पत्नि श्री केदारमल, जाति मीणा , निवासी ढाकडा की ढाणी ग्राम मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर ।
6. सिया पुत्री स्व. श्री अर्जुन पत्नि श्री मिन्टूलाल , जाति मीणा, निवासी कान्जी कोन्डली, वाया मलारना डूंगर, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर ।
7. लाली पुत्री स्व. श्री अर्जुन, पत्नि श्री प्रकाश , जाति मीणा, निवासी ग्राम टोन्ड, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर ।
8. ग्राम पंचायत इन्दावा, जरिये सरपंच, पंचायत समिति लालसोट, जिला दौसा।
9. तहसीलदार तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 4.5.2018 बाबत नामांतरकरण संख्या 932 दिनांक 20.9.2011 वाके ग्राम इन्दावा

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री ज्ञानेश्वर बाढदार
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री अनिल शर्मा एवं श्री निर्मल कुमार

अपील संख्या 58/2018 जिला दौसा

भगवत सहाय मीणा पुत्र स्व. श्री अर्जुन , जाति मीणा, निवासी भक्तों की ढाणी, ग्राम डिगो, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

Scanned by CamScanner

बनाम

1. भगवान सहाय मीणा पुत्र स्व. श्री अर्जुन , जाति मीणा, निवासी भक्तों की ढाणी, ग्राम डिगो, तहसील लालसोट, जिला दौसा ।
2. रामबाई पुत्री स्व. श्री अर्जुन, पत्नि श्री शंकर लाल, जाति मीणा, निवासी ढाकडा की ढाणी, ग्रम मलारना चौड, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमधोपुर।
3. कैलाशी पुत्री स्व. श्री अर्जुन पत्नि श्री फूलचन्द, जाति मीणा, निवासी ग्रम टोण्ड, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर ।
4. राजन्ती पुत्री स्व. श्री अर्जुन, पत्नि श्री केदारमल, जाति मीणा, निवासी ढाकडा की ढाणी, ग्रम मलारना चौड , तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर ।
5. भागली पुत्री स्व. श्री अर्जुन, पत्नि श्री केदारमल, जाति मीणा , निवासी ढाकडा की ढाणी ग्रम मलारना चौड तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर ।
6. सिया पुत्री स्व. श्री अर्जुन पत्नि श्री मिन्टूलाल , जाति मीणा, निवासी कान्जी कोन्डली, वाया मलारना डूंगर, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर ।
7. लाली पुत्री स्व. श्री अर्जुन, पत्नि श्री प्रकाश , जाति मीणा, निवासी ग्रम टोन्ड, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर ।
8. ग्राम पंचायत डिगो जरिये सरपंच, पंचायत समिति लालसोट, जिला दौसा ।
9. तहसीलदार तहसील लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

प्रतिरक्षित राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 19.7..2018 बाबत नामांतरकरण संख्या 2122 दिनांक 20.7.2011 वाके ग्रम डिगो

उपस्थित–

3. वकील अपीलान्ट श्री ज्ञानेश्वर बाढदार
4. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री अनिल शर्मा.

निर्णय

दिनांक – 16.4.2019

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के पृथक पृथक निर्णय दिनांक 4.5.2018 बाबत नामांतरकरण संख्या 931 दिनांक 20.9.2011 वाके ग्रम इन्दावा एवं उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 19.7..2018 बाबत नामांतरकरण संख्या 2122 दिनांक 20.7.2011 वाके ग्रम डिगो के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अंपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा

Scanned by CamScanner

किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम इन्दावा, तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 324 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा एवं आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा , कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा में हिस्सा 1/3 की खातेदारी एवं ग्राम डिगो , तहसील लालसोट, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 115 रकबा 15.00, खसरा नम्बर 218 रकबा 1.13, खसरा नम्बर 246 रकबा 1.12, खसरा नम्बर 250/1 रकबा 1.13, कुल किता 4 रकबा 19.18 की सम्पूर्ण खातेदारी तथा खसरा नम्बर 792/159 रकबा 15.00 में से 1/2 हिस्से तथा आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 2.14 , खसरा नम्बर 240 रकबा 2.04, खसरा नम्बर 247 रकबा 7.19, खसरा नम्बर 248 रकबा 0.04 , खसरा नम्बर 299 रकबा 1.07, कुल किता 5 कुल रकबा 14.08 बीघा में 1/2 हिस्से की खातेदारी अर्जुन पुत्र भौर्या मीना की थी । उक्त भूमि के खातेदार अर्जुन के दिनांक 30.1.2011 को फौत होने पर ग्राम इन्दावा स्थित आराजी का नामांतरकरण संख्या 932 ग्राम पंचायत इन्दावा द्वारा दिनांक 20.9.2011 को एवं ग्राम डिगो स्थित आराजी का नामांतरकरण संख्या 2122 ग्राम पंचायत डिगो द्वारा दिनांक 20.7.2011 को अपीलान्ट भगवत सहाय, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 भगवान सहाय पुत्रान अर्जुन, रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 7 रामबाई, कैलाशी, राजन्ती, भागली, सिया, लाली पुत्रियॉ अर्जुन के नाम तस्दीक किये गये ।

उक्त दोनों नामांतरकरण संख्या 932 ग्राम इन्दावा दिनांक 20.9.2011 एवं नामांतरकरण संख्या 2122 ग्राम डिगो दिनांक 20.7.2011 से व्यथित होकर अपीलान्ट भगवत सहाय पुत्र अर्जुन द्वारा पृथक पृथक अपीलें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके निर्णय दिनांक 4.5.2018 एवं 19.7.2018 द्वारा कानून की नजर में अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों को भी वे सभी मूलभूत अधिकार प्रदत्त हैं जो उनके भाईयों को उपलबध है तथा अनुसूचित जन जाति की पुत्रियों को उनकी पैतृक सम्पत्ति से वंचित करना उनके संवैधानिक अधिकार (समानता का अधिकार) की अवहेलना करना मानते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण में अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति अर्जुन पुत्र भौर्या की मृत्यु के बाद उनकी विवाहित पुत्रियों के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 932 दिनांक 20.9.2011 वाके ग्राम इन्दावा एवं नामांतरकरण संख्या 2122 दिनांक 20.7.2011 वाके ग्राम डिगो विधिसम्यक होने से दोनों अपीलें खारिज की है ।

चित्रा
प्रतिरक्षित सन्योगाय प्रायुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 4.5.2018 एवं 19.7.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट भगवत सहाय पुत्र अर्जुन द्वारा पृथक पृथक यह दोनों अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तथा प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जाने एवं अनुसूचित जन जाति के कानून के अनुरूप पुरूष उत्तराधिकारी के नाम नामांतरकरण खोलने की आज्ञा पारित करने की प्रार्थना की ।

Scanned by CamScanner

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 के अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जन जातियों पर लागू नहीं होते जब तक कि केन्द्र सरकार इस ओर कोई कानून बनाये और इसी परिपेक्ष्य में सर्वोच्य न्यायालय ने मधु किशवार बनाम स्टेट ऑफ बिहार में राज्य सरकार को दिशा निर्देश कानून बनाने हेतु दिये थे, कहीं भी उत्तराधिकारी जन जातियों में पुत्रियों को नहीं माना है । ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण कानून की मंशा के विपरीत जाकर पुत्रियों के नाम भी तस्दीक किये हैं, जो निरस्तनीय है । राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय गुलाब बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यु 2006 आर.आर.डी. 464 में यह मान्यता दी है कि अनुसूचित जन जाति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होते हैं और न ही उन्हें विरासत प्राप्त हो सकती है । राजस्व मण्डल के भी कई निर्णय 2002 आर.आर.सी. पेज 626 व 1996 आर.आर.डी. पेज 71 एवं 1989 आर.आर.डी. पेज 284 में यही तैय किया गया है कि अनुसूचति जन जाति में विधवा या पुत्रियों को कोई कानूनी अधिकार उत्तराधिकार के प्राप्त नहीं होते हैं । राजस्थान उच्च न्यायालय ने भोली बनाम चन्दा के निर्णय आर.आर.टी. 2014 वोल्यू 2 पेज 901 में यह प्रतिपादित किया है कि पुत्रियों को अनुसूचित जन जाति के मीणा समुदाय के पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है एवं राजस्व मण्डल ने अनुसूचित जन जाति के उत्तराधिकार के मामले में जब व्याख्या की तो राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) अनुसूचित जन जाति पर लागू न होने के कारण अनुसूचित जन जाति पर पुराना शास्त्रिक हिन्दू लॉ होना माना है और जिसमें पुरूष ही महिला के एवज में उत्तराधिकारी होगा और यह निर्णय 2006 आर.आर. सी. पेज संख्या 556 व 2002 आर.आर.डी. पेज संख्या 31 पर उद्धरित है । उनका कहना था कि उक्त सभी न्यायिक नजीरें अधीनस्थ न्यायालाय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नजीरों की अनदेखी करते हुये मनमाने ढंग से अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि ग्राम पंचायत को इस प्रकार के विवादित नामांतरकरण जिनमें उत्तराधिकार का बिन्दु तय करना हो, निर्णित किये जाने का कोई अधिकार नहीं है , लेकिन ग्राम पंचायत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किये हैं, जो क्षेत्राधिकार विहीन होने से अवैध व शून्य थे , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट की अपीलें खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त

चित्रा
प्रतिलिपिकार संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

किये जावे तथा अपीलान्ट के नाम नामांतरकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 901, आर.आर.डी. 2006 पेज 464 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 2 से 7 विवादित भूमि के खातेदार अर्जुन की जायन्दा पुत्रियॉ है और अपने पिता की सम्पत्ति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में हक प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है । ग्राम पंचायत द्वारा अर्जुन की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक के सभी पुत्र एवं पुत्रियों के नाम समान भाग के तस्दीक किये हैं तथा प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलान्ट की दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने अपीलाधीन आदेशों से प्रश्नगत नामांतरकरण विधिसम्यक मानते हुये खारिज की है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 2004 पेज 120, सुप्रिम कोर्ट केसेज 1996 पेज 125, सुप्रिम कोर्ट केसेज 2008 पेज 587, निर्णय आर.बी. दिनांक 29.1.2014 प्रेम चन्द बनाम सुन्दर बाई, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.6.2015 बहादुर बनाम भारतीया एवं अन्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि के खातेदार अर्जुन मीणा की विरासत के नामांतरकरणों का है । ग्राम पंचायतों द्वारा विवादित भूमि के खातेदार अर्जुन के फौत होने पर विरासत के नामांतरकरण मृतक के सभी पुत्र एवं पुत्रियों के नाम तस्दीक किये हैं जिनके खिलाफ अपीलान्ट की अपीलें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से प्रश्नगत नामांतरकरणों को विधिसम्यक मानते हुये खारिज की है । अपीलान्ट की मुख्य आपत्ति है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 के अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जन जातियों पर लागू नहीं होते तथा अनुसूचति जन जाति में विधवा या पुत्रियों को कोई कानूनी अधिकार उत्तराधिकार के प्राप्त नहीं होते हैं ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खातेदार मृतक अर्जुन मीना के अपीलान्ट भगवत सहाय, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 भगवान सहाय पुत्र एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 7 रामबाई, कैलाशी, राजन्ती, भागली, सिया, लाली पुत्रियॉ है । जहॉ तक मीना जाति में भाईयों को उत्तराधिकार प्राप्त होने का प्रश्न है, हो सकता है पुराने समय में ऐसी परम्परा प्रचलित रही हो , लेकिन वर्तमान समय में जबकि देश का संविधान समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है

Scanned by CamScanner

और सभी नागरिकों के लैंगिंग विभेद के बिना समान अवसर की धारणा प्रतिपादित करता है । लैंगिग समानता समाज एवं. राज्य की नीति का दिशाबोधकारक बन गये हैं, विकास की दौड में महिलाओं की भागीदारी समान है, महिलाऐं अपने अधिकार कोप्राप्त करने के लिए सचेष्ट हैं, सामाजिक विकास की गति तेज है तथा सामाजिक परम्परायें भी तेजी से परिवर्तित हो रही है । ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी कोई परम्परा वर्तमान समय में है जिसमें मीना जाति के किसी व्यक्ति की सम्पत्ति का उत्तराधिकार महिला उत्तराधिकारी मृतक की विधवा एवं पुत्रियों को नहीं होकर केवल पुत्रों को होगा । प्रकरण में भूमि अर्जुन के नाम अभिलिखित थी जिसके फौत होने के बाद ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक के पुत्रों एवं पुत्रियों के नाम किया जाना उचित है एवं दोनों नामांतरकरण संख्या 932 ग्रम इन्दावा दिनांक 20.9.2011 एवं नामांतरकरण संख्या 2122 ग्रम डिगो दिनांक 20.7.2011 के खिलाफ .अपीलान्ट की दोनों अपीलें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4.5.2018 एवं 19.7.2018 से कानून की नजर में अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों को भी वे सभी मूलभूत अधिकार प्रदत्त हैं जो उनके भाईयों को उपलब्ध है तथा अनुसूचित जन जाति की पुत्रियों को उनकी पैतृक सम्पत्ति से वंचित करना उनके संवैधानिक अधिकार (समानता का अधिकार) की अवहेलना करना मानते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण में अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति अर्जुन पुत्र भौर्‌या की मृत्यु के बाद उनकी विवाहित पुत्रियों के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 932 दिनांक 20.9.2011 वाके ग्रम इन्दावा एवं नामांतरकरण संख्या 2122 दिनांक 20.7.2011 वाके ग्रम डिगो विधिसम्यक होने से खारिज की है , जो उचित है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लालसोट , जिला दौसा दिनांक 4.5.2018 एवं 19.7.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner